कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा / माध्य / मा–स / एसडीएमसी / 22423 / 2015–19 दिनांक 19.09.19

परिपत्र

राजकीय विद्यालयों में खेल मैदान एवं अतिरिक्त भूमि का विभिन्न कार्यो के लिये अल्पावधि उपयोग करने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं / सामाजिक संस्थाओं एवं अन्य अभिकरणों द्वारा आवेदन किये जाते है। इस संबंध में संस्था प्रधानों द्वारा अनुमति देने के लिये पृथक–पृथक मानदण्ड़ अपनाए जा रहे है। अनुमति देने में एकरूपता के लिये निम्नांकित तथ्यों को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है :–

1 विद्यालय की दैनिक उपयोग में आने वाली अतिरिक्त भूमि / खैल मैदान को अल्पावधि हेतु अन्य संस्था को उपयोग में लेने की अनुमति देने से पूर्व, इसका आंकलन कर लि़या जावे कि इससे विद्यार्थियों के दैनिक अध्ययन / खेल प्रभावित नहीं होंगे। अवकाश की अवधि में ही उक्त प्रकार की स्वीकृति, एसडीएमसी की पूर्व सहमति से संस्था प्रधान द्वारा जारी की जावे।

2 आवेदक द्वारा आयोजन में राज्य सरकार / माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग एवं उनकी नियन्त्रित तीव्रता, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के निर्धारित समय इत्यादि प्रतिबंधों की पालना की जानी अनिवार्य होगी, जिसका शपथ पत्र आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ ही प्रस्तुत किया जाएगा।

3 किसी भी संस्था द्वारा अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन में उक्त भूमि के उपयोग, यदि कोई आयोजन है तो उनमें होने वाली संभावित उपस्थित, उनकी सुरक्षा हेतु किये गये उपाय, आकस्मिक मेड़िकल सहायता, बिजली पानी का समुचित प्रबन्धन इत्यादि बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा । इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन (न्यूनतम उपखण्ड़ अधिकारी स्तर से) द्वारा जारी आयोजन की स्वीकृति प्रस्तुत की जानी होगी, जिसके आधार पर ही एसडीएमसी की पूर्व सहमति से संस्था प्रधान द्वारा भूमि उपयोग की स्वीकृति जारी की जा सकेगी। इस संबंध में आयोजन से संबंधित समस्त सरकारी विभागों की वांछित अनापत्ति संस्था प्रधान द्वारा आयोजक से आवेदन के साथ प्राप्त की जानी अपेक्षित है।

4 ऐसे किसी भी आयोजन के उपयोग के लिये भूमि अथवा खेल मैदान की स्वीकृति नहीं दी जावे, जिससे किसी भी प्रकार के विवाद अथवा धार्मिक / सामाजिक / सांस्कृतिक भावनाएं आहत होने की संभावना हो।

5 भूमि / खेल मैदान के उपयोग कि दैनिक दर स्थानीय निकायों की दर के अनुरूप आवश्यकतानुसार युक्तियुक्त आधार पर एसडीएमसी द्वारा पूर्व में ही नियत कर, आवेदक को अवगत करा दिया जावे। उक्त अवधि में विद्यालय में पानी एवं बिजली के उपभोग एवं साफ सफाई के व्यय की राशि आवेदक से वसूली जावे। उक्त राशि एसडीएमएसी के खाते में जमा होगी।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

Scanned by CamScanner

6 संस्था प्रधान की स्वीकृति उपरांत आगामी तीन दिवस में एसडीएमसी द्वारा निर्धारित किराया राशि की तीन गुणा राशि धरोहर राशि के रूप में तथा अनुमानित बिजली–पानी एवं साफ–सफाई का व्यय आवेदक संस्था द्वारा जमा नहीं कराने पर स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी।

7 आवेदक द्वारा आयोजन उपरांत संस्था प्रधान को भूमि/खेल मैदान, पूर्ण साफ–सफाई एवं टूट –फूट की मरम्मत करवा कर सुपुर्द किया जाएगा, जिसके समुचित अवलोकन एवं आकलन के उपरांत संस्था प्रधान द्वारा जमा की गई धरोहर राशि में से, शेष राशि आवेदक को लौटाई जा सकेगी।

8 इस हेतु आवेदन संस्था प्रधान को ही किया जाएगा, जिसका निर्णय एडीएमसी द्वारा विद्यार्थियों का नियमित अध्ययन/खेल गतिविधि प्रभावित नहीं होने की सुनिश्चितता की स्थिति में ही किया जाएगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त जिला कलक्टर।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक ।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. उपशासन सचिव–प्रथम्, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विभाग में समस्त भूमि/भवन/खेल मैदान की उपयोगिता बाबत् समस्त विभागीय पत्राचार/अनापत्ति /स्वीकृति/मार्गदर्शन/प्रबोधन संबंधी कार्यवही सर्वोच्च प्राथमिकता से संपादित की जानी सुनिश्चित करावें तथा उपर्युक्त निर्देशों की फील्ड में सम्पूर्ण पालना हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को पाबंद करावें।
6. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) –माध्यमिक/प्रारंभिक
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
10. समस्त संस्था प्रधान– राउमावि/राबाउमावि/रामावि/राबामावि।
11. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु
12. रक्षित पत्रावली

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

Scanned by CamScanner